

तत्काल आज ही

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्य प्रदेश

क0 9/नर्सिंग/सेल-2/2017/732

भोपाल दिनांक 29/7/2017


प्रति,

समस्त क्षेत्रीय संचालक  
स्वास्थ्य सेवायें  
मध्य प्रदेश

विषय :-स्टाफ नर्सस के परिवीक्षा अवधि में किये गये स्थानान्तरण के संबंध में जानकारी आज ही उपलब्ध कराये जाने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. द्वारा स्टाफ नर्सस के स्थानान्तरण आदेश 10.07.2017 से 16.07.2017 तक जारी किये गये। जारी किये गये आदेशों में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि स्थानान्तरण होने वाले स्टाफ नर्सस यदि परिवीक्षा अवधि पर हो तो उन्हें किसी भी परिस्थिति में कार्यमुक्त न किया जावें। किन्तु संज्ञान में आया है कि कुछ जिलों में स्थानान्तरण आदेश में दिये गये निर्देशों की अवहेलना करते हुये स्टाफ नर्स कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है, जो उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ जिलों से ऐसी कितनी स्टाफ नर्स है जो परिवीक्षा अवधि में थी और उन्हें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। उक्त कर्मचारियों की सूची एकजाई कर संभागवार ddnursing13@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि स्थानान्तरण निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जा सकें।

  
(डॉ.जे.एल.मिश्रा)  
संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क.9/नर्सिंग/सेल -2/2017

भोपाल दिनांक / /2017

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय।
2. आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले की जानकारी एकजाई तैयार कर संबंधित क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. को आज ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

/

संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश